6/1) आज यह पत्रावली कोर्ट के समक्ष में
प्रस्तुत हुई रखी। - 1 ने अधीन में आपत्ति नहीं दिया
प्रस्तुत किया। अधीनस्थ आदि. का दस्तावेज व अधि
पर सुनवाई व डिक्री का अवलोकन किया गया
डिक्री के अवलोकन से अधीनस्थ की आदि
अपील होना प्रतीत ही जिसे दुरुस्त किया
जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना दस्तावेज
विपक्ष आदि. व अधीन का लोक किया जाता है
देशी या अदालती कर्तव्य की जाती है व अन्तर्गत
नामान्तरण सं. 040 विपक्ष डिक्री 5-7-2003
के साथ करवाने प्रार्थना पत्र इस कोर्ट में अधीनस्थ
की आदि जाए के स्थान पर अपील दर्ज करने
की स्वीकृति दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि
आवेदन नामा में अधीनस्थ की आदि-जाए के
स्थान पर अपील दर्ज की जावे। अहलमद
आदि किया जावे। पत्रावली नम्बर से कमेटी
अस्थायी अधीन स्थगित समय की जावे। विपक्ष
कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner